भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1438
जिसका उत्तर बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक मामलों का निपटान

1438. श्री महाबली सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के न्यायालय दुनिया के विकसित देशों की तुलना में मामलों के निपटारे में अधिक समय लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) दीवानी और फौजदारी मामलों के निपटान में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा औसतन कितना समय लिया जा रहा है ; और

(घ) क्या अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में मामलों के निपटान में लगने वाले समय के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : विभिन्न देशों में न्यायालय, अवसंरचना की उपलब्धता में अंतर, प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रति मिलियन जनसंख्या पर न्यायिक अधिकारियों की संख्या (न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात), निर्णय-सूची अनुपात (जनसंख्या मामला फाइल करने का अनुपात), न्यायालयों में मौलिक विधियों और प्रक्रियाओं के उपबंधों आदि के कारण भिन्न-भिन्न परिवेश में कार्य करते हैं । विकसित देशों के मुकाबले में भारत में मामलों के निपटान में लिए गए समय की व्यावहारिक रूप से तुलना नहीं की जा सकती है । सरकार, न्यायालयों में मामलों के निपटान में लिए गए औसतन समय के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है । तथापि, तारीख 23.07.2021 तक उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंध में मामलों के निपटान में लिए गए समय के संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ें, उपाबंध पर है ।

****

उपाबंध

न्यायालय मामलों के निपटान के बारे में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 1438, जिसका उत्तर 28.07.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

मामलों के निपटान में लिया गया समय (23.07.2021 तक)

लिया गया समय	उच्च न्यायालय		जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय	
	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक
1 वर्ष के भीतर	160,129 (45.67 %)	196,589 (65.94 %)	376,898 (37.60 %)	3,591,099 (75.44 %)
1-2 वर्ष	73,660 (21.01 %)	73,518 (24.66 %)	223,499 (22.30 %)	433,371 (9.10 %)
2-3 वर्ष	29,649 (8.46 %)	10,855 (3.64 %)	128,576 (12.83 %)	235,868 (4.95 %)
3-4 वर्ष	18,171 (5.18 %)	4,894 (1.64 %)	78,503 (7.83 %)	146,616 (3.08 %)
4-5 वर्ष	13,913 (3.97 %)	3,017 (1.01 %)	50,290 (5.02 %)	92,377 (1.94 %)
5-6 वर्ष	10,428 (2.97 %)	1,635 (0.55 %)	40,483 (4.04 %)	76,392 (1.60 %)
6-7 वर्ष	7,507 (2.14 %)	1,577 (0.53 %)	27,526 (2.75 %)	46,778 (0.98 %)
7-8 वर्ष	6,340 (1.81 %)	895 (0.30 %)	18,635 (1.86 %)	31,448 (0.66 %)
8-9 वर्ष	5,955 (1.70 %)	833 (0.28 %)	13,275 (1.32 %)	22,358 (0.47 %)
9-10 वर्ष	4,871 (1.39 %)	559 (0.19 %)	9,710 (0.97 %)	15,389 (0.32 %)
10-11 वर्ष	4,612 (1.32 %)	503 (0.17 %)	6,985 (0.70 %)	11,386 (0.24 %)
11-12 वर्ष	3,371 (0.96 %)	295 (0.10 %)	5,285 (0.53 %)	9,426 (0.20 %)
12-13 वर्ष	2,489 (0.71 %)	228 (0.08 %)	3,858 (0.38 %)	7,486 (0.16 %)
13-14 वर्ष	1,998 (0.57 %)	199 (0.07 %)	2,872 (0.29 %)	5,855 (0.12 %)
14-15 वर्ष	1,982 (0.57 %)	1,111 (0.37 %)	2,062 (0.21 %)	5,037 (0.11 %)
15-16 वर्ष	1,182 (0.34 %)	356 (0.12 %)	1,748 (0.17 %)	4,110 (0.09 %)
16-17 वर्ष	1,151 (0.33 %)	259 (0.09 %)	1,610 (0.16 %)	3,436 (0.07 %)
17-18 वर्ष	889 (0.25 %)	115 (0.04 %)	1,157 (0.12 %)	2,761 (0.06 %)
18-19 वर्ष	593 (0.17 %)	102 (0.03 %)	1,095 (0.11 %)	2,700 (0.06 %)
19-20 वर्ष	386 (0.11 %)	116(0.04 %)	839 (0.08 %)	2,253 (0.05 %)
20-21 वर्ष	398 (0.11 %)	38 (0.01 %)	798 (0.08 %)	1,957 (0.04 %)
21वर्ष से अधिक	981 (0.28 %)	425 (0.14 %)	6,697 (0.67 %)	12,337 (0.26%)

स्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1446
जिसका उत्तर बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

डिजिटल प्रणाली के माध्यम से निपटाए गए न्यायालयी मामले

1446. श्री चुन्नीलाल साहू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 2020-21 के लॉकडाउन के दौरान डिजिटल प्रणाली के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने न्यायालयी मामलों का निपटारा किया गया ;

(ख) सामान्य और कम महत्वपूर्ण न्यायालयी मामलों के निपटान की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या सरकार इनके निपटान के लिए किसी विशेष योजना पर कार्य कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : मार्च, 2020 और जून, 2021 के बीच, जिला न्यायालयों ने डिजिटल प्रणाली का प्रयोग करके कुल 74,15,989 मामलों की सुनवाई की । तथापि, डिजिटल और वास्तविक सुनवाई द्वारा निपटान किए गए मामलों की प्रास्थिति पृथक रुप से नहीं रखी जाती है । उसी अवधि के दौरान डिजिटल और वास्तविक सुनवाई के द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 97,21,491 मामलों का निपटान किया गया था । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार स्थिति **उपाबंध 1** पर दी गई है ।

मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र के भीतर आता है । तथापि, संघ सरकार संविधान के अनुच्छेद 39क के अधीन आज्ञापक रुप से न्याय में सुधार करने के लिए मामलों के शीघ्र निपटान के लिए और लंबित मामलों में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है । संघ सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन कई रणनीतिक पहलुओं को अंगीकार किया है जिसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों हेतु अवसंरचना सुधार, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उन्नयन, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना, जिला, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय स्तर पर बकाया समितियों द्वारा अपनाए गए लंबित मामलों में कमी करने, वैकल्पिक विवाद समाधान(एडीआर) पर संवर्द्धन तथा मामलों के विशेष प्रकार से फास्ट ट्रैक के लिए पहल करना सम्मिलित है ।

****

उपाबंध-1

सभी राज्यो/संघ राज्यक्षेत्रों के मामलों के निपटान संबंधी लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं 1446 जिसका उत्तर 28/7/2021 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	राज्य	कुल
1.	उत्तर प्रदेश	1919222
2.	महाराष्ट्र	697044
3.	बिहार	317546
4.	पश्चिम बंगाल	291292
5.	राजस्थान	567151
6.	गुजरात	555898
7.	कर्नाटक	1239746
8.	केरल	439637
9.	मध्य प्रदेश	513909
10.	उड़ीसा	139202
11.	तमिलनाडु	919338
12.	हरयाणा	280593
13.	दिल्ली	233910
14.	पंजाब	365706
15.	तेलंगाना	161720
16.	आंध्र प्रदेश	171205
17.	झारखंड	209906
18.	असम	82084
19.	हिमाचल प्रदेश	229240
20.	छत्तीसगढ	106295
21.	उत्तराखंड	111687
22.	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र	100139
23.	गोवा	6591
24.	चंडीगढ़	10671
25.	पुदुचेरी	3535
26.	त्रिपुरा	24411
27.	मेघालय	4342
28.	मणिपुर	9956
29.	मिजोरम	2924
30.	सिलवासा में दादर और नगर हवेली	1319
31.	दीव और दमन	1431
32.	नागालैंड	334
33.	सिक्किम	2831
34.	लद्दाख	676
	कुल	**97,21,491**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1545
जिसका उत्तर बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

कानूनी क्षेत्राधिकार में बदलाव

1545. श्री एंटो एन्टोनी :

श्री राजमोहन उन्नीथन :

श्री हिबी ईडन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा कानूनी क्षेत्राधिकार को केरल उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) इस कदम के पीछे क्या कारण हैं और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या क्षेत्राधिकार बदलकर कर्नाटक उच्च न्यायालय किए जाने पर, लक्षद्वीप के नागरिकों के वित्तीय खर्ची को कम करने और सुविधा बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : वर्तमान में, लक्ष्यदीप प्रशासन से विधिक क्षेत्राधिकारिता को केरल उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) : उपरोक्त **(क)** के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1581
जिसका उत्तर बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या

1581. श्री हाजी फजलुर रहमान :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) वर्तमान में देश में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की न्यायालय-वार स्वीकृत संख्या कितनी है ;
(ख) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में पुरुष और महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हैं और इनमें अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ; और
(ग) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : तारीख 20.07.2021 तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद, पुरुष और महिला न्यायाधीशों की संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध पर है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती हैं, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । अत: कोई जाति/वर्ग-वार आंकड़ा केन्द्रीय रुप से नहीं रखा गया है । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए ।

****

उपाबंध

श्री हाजी फजलुर रहमान द्वारा 'न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1581 जिसका उत्तर 28.07.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**स्वीकृत पद संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**			**रिक्तियां**
			पुरुष न्यायाधीश	**महिला न्यायाधीश**	**कुल**	
क	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	**34**	**25**	**01**	**26**	**08**
ख	**उच्च न्यायालय**					
1	इलाहाबाद	160	87	07	94	66
2	आंध्र प्रदेश	37	16	03	19	18
3	बॉम्बे	94	55	08	63	31
4	कलकत्ता	72	27	04	31	41
5	छत्तीसगढ	22	12	02	14	08
6	दिल्ली	60	24	06	30	30
7	गुवाहाटी	24	19	01	20	04
8	गुजरात	52	23	05	28	24
9	हिमाचल प्रदेश	13	09	01	10	03
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	17	10	01	11	06
1 1	झारखंड	25	14	01	15	10
12	कर्नाटक	62	41	06	47	15
१३	केरल	47	33	04	37	10
14	मध्य प्रदेश	53	26	03	29	24
15	मद्रास	75	45	13	58	17
16	मणिपुर	05	05	0	05	0
17	मेघालय	04	04	0	04	0
१८	ओडिशा	27	12	01	13	14
19	पटना	53	19	0	19	34
20	पंजाब और हरियाणा	85	39	07	46	39
21	राजस्थान	50	22	01	23	27
22	सिक्किम	03	02	01	03	0
23	तेलंगाना	42	12	02	14	28
24	त्रिपुरा	05	04	0	04	01
25	उत्तराखंड	11	07	0	07	04
कुल		**1098**	**567**	**77**	**644**	**454**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1597
जिसका उत्तर बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में लम्बित मामले

1597. श्री सत्यदेव पचौरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निचली अदालतें, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लखनऊ बेंच सहित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक दिवानी आदि के लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कोविड-19 की महामारी के प्रभाव के कारण उक्त न्यायालयों में मामलों की संख्या बढ़ गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : लखनऊ न्यायपीठ, अधीनस्थ न्यायालयों और फास्ट ट्रैक न्यायालयों सहित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 30.06.2021 को लंबित दांडिक और सिविल मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	न्यायालय	सिविल	दांडिक
1	लखनऊ न्यायपीठ सहित इलाहाबाद उच्च न्यायालय	5,68,987	4,51,406
2	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय	18,41,155	73,94,155
3	उत्तर प्रदेश के फास्ट ट्रैक न्यायालय		5,43,081

(ख) और (ग) : इन न्यायालयों के संबंध में कोविड-19 महामारी के बाद से मामलों की स्थिति इस प्रकार है: -

क्र.सं.	न्यायालय	**01.03.2020** को लंबित मामले	**01.03.2020** से **30.06.2021** की अवधि के दौरान संस्थित मामले	**01.03.2020** से **30.06.20212021**की अवधि के दौरान निपटान किए गए मामले	**30.06.2021**के अनुसार लंबित मामले
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	9,43,672	2,74,412	1,97,691	10,20,393
2	उत्तर प्रदेश के	78,98,125	40,84,054	27,41,095	92,35,310*

	जिला न्यायालय				

*जनवरी, 2021 के महीने में बलिया जिला न्यायालय के आसपास आग लगने की घटना के कारण 30.06.2021 तक 5774 मामले लंबित हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में फाइलें गुम हो गई हैं, जो पहचान और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के अधीन हैं।

क्र.सं.	न्यायालय	01.03.2020 के अनुसार लंबित मामले	30.06.2021 के अनुसार लंबित मामले
1	उत्तर प्रदेश के फास्ट ट्रैक न्यायालय	3,97,816	5,43,081

(घ) : राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन ने न्याय प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 8644.00 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 22.07.2021 तक बढ़कर 20,218 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 17,815 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,693 न्यायालय हाल और 1,852 आवासी इकाईयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) <u>सुधार किए गए न्याय के परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभावन :-</u> सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है । कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या तारीख 01.07.2021 को 13,672(वर्ष 2014 में) से बढ़कर 18735 हो चुकी है और 5063 की वृद्धि दर्ज की गई है । मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 01.07.2021 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 18.77 करोड़ से अधिक मामलों की स्थिति और 14.61 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल

सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है । कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश,जानकारी और ई फाइलिंग सुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 235 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए निधियाँ प्रदान की गई है । वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली (2 न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र) कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में यातायात संबंधी अपराधों के विचारण के लिए बारह वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 12.07.2021 तक, इन न्यायालयों ने 75 लाख मामलों को संभाला और जुर्माना में 160.05 करोड़ रुपये जारी किया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी क्योंकि वास्तविक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 74,15,989 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.06.2021 तक 40,43,300 मामलों (कुल 1.14 करोड़) की सुनवाई की। लॉकडाउन की अवधि से 09.07.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 96,239 सुनवाई हुई।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना :-</u> 01.05.2014 से 01.03.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 602 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 551 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1098 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
22.07.2021	24,368	19,236

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) <u>बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी :</u> अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों को 20.06.2014 और 14.08.2018 को संबोधित किया गया है, जिसमें पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है और लंबित मामलों को कम करने का अभियान शुरू किया गया है।

(v) <u>अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर</u> **:-** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया है ।

(vi) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल **:-**</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबन्ध करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 30.04.2021 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराधों के लिए 870 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं । तथापि, सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । आज की तारीख तक 28 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 363 'मात्र पाक्सो न्यायालय' सहित 842 एफटीएससी की स्थापना के लिए जुड़ गए है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड़ रुपये जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160.00 करोड़ रुपये जारी किए गए है ।वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जून 2021तक 39.77 करोड़ रुपये जारी किए गए है । 640 एफटीएससी कार्यरत है जिसमें से 338 मात्र पाक्सो न्यायालय हैं जिसने 31.05.2021 तक 50484 मामलों का निस्तारण किया ।

(vii) लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल पर परामर्श के पश्चात, कोरोना वायरस के आसन्न खतरे से निपटने के लिए रोकथाम और उपचारात्मक उपायों के लिए माननीय न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया था। माननीय मुख्य न्यायाधीश और समिति के निर्देश का अनुपालन करते हुए उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा कई उपाय किए गए। कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत और ढंग, जो इलाहाबाद

उच्च न्यायालय में कोविड -19 महामारी के दौरान जारी किए गए और उठाए गए कदम इस प्रकार हैं।

(i) तारीख 16.3.2020 को मार्गदर्शक सिद्धांत और ढंग जारी किए गए थे जिसके अधीन केवल तत्काल प्रकृति के मामलोंं को सूचीबद्ध करने के लिए निदेश दिए गए थे, पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट दी गई थी, काउंसिल और नियोक्ताओं के ड्रैस कोड को हटाने करने के लिए घोषित किया गया था तथा न्यायालय परिसरों में वादकारियों का प्रवेश निर्बंधित था ।

(ii) तारीख 30 मई 2020 के आदेश के अनुसार स्टांप रिपोर्टर सैक्शन को किसी त्रुटि के कारण कोई नया मामला नहीं अपनाने के लिए निदेश दिया गया था ।

(iii) तारीख 6.6.2020 को वीडियो कॉनफ्रैंसिंग के माध्यम से न्यायालय कार्यवाही में जुड़ने के लिए काउंसिल को सुनिश्चित करने के लिए एक ई-मेल आई डी आरंभ की गई थी । ये प्रसुविधाएं ऑन साइट प्रसुविधा और ई-सेवा केंद्र के रुप में विभिन्न साइबर कैफे को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर कक्षकों की स्थापना की गई थी ।

(iv) एडवोकेट और वादकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, वर्चुअल सुनवाई के लिए दो साफ्टवेयर अर्थात् जित्सी मीट साफ्टवेयर और किस्को वैब एक्स साफ्टवेयर आरंभ किया गया ।

(v) वीडियो कॉनफ्रैंसिंग के माध्यम से ई-मोड फाइल करने और सुनवाई का संवर्द्धन करने के लिए अधिकतम प्रयास किए गए हैं ।

(vi) अधीनस्थ न्यायालय में पुन: न्यायालय को पुन:खोलने पर तत्काल सुनवाई हेतु मामले की वरीयता संबंधी सभी जिला न्यायालधीशों को निदेश जारी किए गए थे । मामले के तत्काल निपटान के लिए मामलों की पहचान निम्नानुसार की गई है :-

न्यायालय का नाम	मामले का प्रकार
एफटीएस सहित जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालयों में	सिविल अपील, सिविल पुनर्विलोकन, दांडिक अपील, दांडिक पुनर्विलोकन, अंतिम बहस के स्तर के मामले, विचाराधीन मामले
सीजेएम /एसीजेएम/जेएम के न्यायालयों और अन्य संबंधित न्यायालयों में	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, 256, 257,258,203,394 की धारा के अधीन छोटे-मोटे मामले, सुपुर्दगी मामले और विचाराधीन मामले ।
सिविल जज (एसडी/जेडी) के न्यायालयों और कुटुंब न्यायालयोंं में	धारा 23द(3) के अधीन समझौता, धारा 23ड(1) के अधीन वापस लेना, उत्तराधिकार संबंधी मामले और अंतिम बहस स्तर के मामले
तत्काल निपटान के लिए पहचान किए गए मामले	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अधीन मामले और अंतिम रिपोर्ट के मामले

इसके अतिरिक्त लॉड डाउन की अवधि के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन और मोटरयान अधिनियम छोटे-मोटे दांडिक मामले, जहां चलान/पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई है, प्राथमिकता के आधार पर उनको भी देखा/निपटाया गया था ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1600
जिसका उत्तर बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की कमी

1600. श्री बैन्नी बेहनन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में न्यायाधीशों की कमी और न्यायालयों में रिक्त पड़े पदों के बारे में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त रिक्तियों के लिए कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केरल में ऐसे रिक्त पदों की संख्या के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, रिक्तियों के होने से छह मास पूर्व बार और संबंधित राज्य न्यायिक सेवा से अर्हित अभ्यर्थियों में से दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रस्तावों का आरंभ किया जाना अपेक्षित है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केंद्रीय दोनों स्तर पर, विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । सम्यक् प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रक्रम को शीघ्रता से करने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाते हैं । भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संबंध में विगत तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान पद रिक्ति और की गई नियुक्तियों का विवरण **उपाबंध-1** पर दर्शाया गया है ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है । इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के साथ राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति,

प्रोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के संबंध में नियम और विनियम जारी करती है । अतः, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालय यह कार्य करते हैं और अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह कार्य करते हैं ।

संविधान के अधीन संघ सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भी भूमिका नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मजहर के वाद में अपने आदेश तारीख 4 जनवरी, 2007 में अधीनस्थ न्यायालय में रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और समय-सीमा इजाद की है जो नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए प्रक्रिया कैलेंडर वर्ष में 31 मार्च को प्रारंभ होकर उसी वर्ष 31 अक्तूबर को समाप्त हो जाएगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को राज्य में विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु संबंधित परिस्थितियों या अन्य संबंधित परिस्थितियों पर आधारित किसी कठिनाई की दशा में समय अनुसूची में भिन्नता के लिए अनुज्ञात किया हुआ है ।

उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, न्याय विभाग ने मलिक मजहर के निर्णय के प्रति सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार को आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित की है । न्याय विभाग, सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को मलिक मजहर मामले द्वारा दिए गए निर्णयानुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना शीघ्र करने के लिए समय-समय पर लिखता रहता है । न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद, कार्यरत पद और रिक्तियों की संख्या का राज्यवार विवरण **उपाबंध-2** पर दर्शाया गया है ।

(ग) : आज तारीख तक, केरल उच्च न्यायालय में अनुमोदित न्यायाधीशों की संख्या 47 है । वर्तमान में, केरल उच्च न्यायालय में 37 न्यायाधीश (जिसमें उच्च न्यायालयों के 4 न्यायाधीश सम्मिलित हैं) कार्यरत हैं । इस प्रकार केरल उच्च न्यायालय में कुल 10 रिक्तियां विद्यमान हैं । न्याय विभाग के एमआईएस पोर्टल पर उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, आज तारीख तक केरल में 541 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या के विरूद्ध 464 न्यायिक अधिकारी पद पर हैं और 77 रिक्तियां हैं ।

****

उपाबंध-1

न्यायाधीशों की कमी के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1600 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	20.07.2021 तक न्यायाधीशों के रिक्त पद	कलैंडर वर्षों के दौरान की गई नियुक्तियां		
			2018	2019	2020
क	उच्चतम न्यायालय	08	08	10	-
ख	उच्च न्यायालय				-
1.	इलाहाबाद	66	28	10	04
2.	आंध्र प्रदेश	18	-	02	07
3.	बॉम्बे	31	04	11	04
4.	कलकत्ता	41	11	06	01
5.	छत्तीसगढ	08	04	-	-
6.	दिल्ली	30	05	04	-
7.	गुवाहाटी	04	02	04	-
8.	गुजरात	24	04	03	07
9.	हिमाचल प्रदेश	03	-	02	-
10.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय	06	02	-	05
11.	झारखंड	10	03	02	-
12.	कर्नाटक	15	12	10	10
13.	केरल	10	04	01	06
14.	मध्य प्रदेश	24	08	02	-
15.	मद्रास	17	08	01	10
16.	मणिपुर	0	-	-	01
17.	मेघालय	0	01	01	-
18.	ओडिशा	14	01	01	02
19.	पटना	34	-	04	-
20.	पंजाब और हरियाणा	39	07	10	01
21.	राजस्थान	27	-	03	06
22.	सिक्किम	0	-	-	-
23.	तेलंगाना	28	-	03	01
24.	त्रिपुरा	01	01	-	01
25.	उत्तराखंड	04	03	01	-
	संपूर्ण	**454**	**108**	**81**	**66**

उपाबंध-2

न्यायाधीशों की कमी के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1600 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

		2018			2019			2020			2021 (22.07.2021 तक)		
क्र.सं.	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र का नाम	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत पद सं.	रिक्त पद	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत पद सं.	रिक्त पद	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत पद सं.	रिक्त पद	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत पद सं.	रिक्त पद
1	अंदमान और निकोबार	11	11	0	0	13	-13	0	13	-13	0	13	-13
2	आंध्र प्रदेश	494	445	49	597	529	68	607	510	97	607	494	113
3	अरुणाचल प्रदेश	30	25	5	41	27	14	41	32	9	41	32	9
4	असम	430	383	47	441	412	29	466	412	54	467	410	57
5	बिहार	1845	1205	640	1925	1149	776	1936	1433	503	1936	1403	533
6	चंडीगढ़	30	30	0	30	29	1	30	26	4	30	27	3
7	छत्तीसगढ	452	397	55	468	394	74	481	387	94	482	419	63
8	दादरा और नागर हवेली	3	3	0	3	3	0	3	2	1	3	2	1
9	दमण और दीव	4	4	0	4	3	1	4	4	0	4	4	0
10	दिल्ली	799	541	258	799	681	118	799	649	150	862	679	183
11	गोवा	50	42	8	50	43	7	50	40	10	50	40	10
12	गुजरात	1506	1150	356	1521	1185	336	1521	1152	369	1523	1138	385
13	हरियाणा	651	489	162	772	475	297	772	493	279	772	488	284
14	हिमाचल प्रदेश	159	149	10	175	153	22	175	161	14	175	161	14
15	जम्मू -कश्मीर	310	224	86	290	232	58	296	255	41	296	251	45
16	झारखंड	676	460	216	677	461	216	675	544	131	675	530	145
17	कर्नाटक	2614	2181	433	1345	1106	239	1357	1071	286	1328	1062	266
18	केरल	496	433	63	536	457	79	538	470	68	541	464	77
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	16	8	8	16	9	7
20	लक्षद्वीप	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	2	1
21	मध्य प्रदेश	1872	1361	511	2021	1620	401	2021	1610	411	2021	1586	435
22	महाराष्ट्र	2011	1844	167	2189	1942	247	2190	1940	250	2190	1940	250

23	मणिपुर	55	40	15	55	39	16	54	36	18	59	43	16
24	मेघालय	97	39	58	97	49	48	97	49	48	97	49	48
25	मिजोरम	67	46	21	64	46	18	64	43	21	64	43	21
26	नागालैंड	33	26	7	33	25	8	33	26	7	33	26	7
27	ओडिशा	911	755	156	919	770	149	950	756	194	957	749	208
28	पुडुचेरी	26	19	7	26	11	15	26	11	15	26	11	15
29	पंजाब	674	530	144	675	579	96	692	593	99	692	589	103
30	राजस्थान	1337	1108	229	1428	1121	307	1489	1292	197	1540	1283	257
31	सिक्किम	23	19	4	25	19	6	25	20	5	25	20	5
32	तमिलनाडु	1143	905	238	1255	1080	175	1298	1049	249	1312	1041	271
33	तेलंगाना	493	445	48	413	334	79	474	378	96	474	378	96
34	त्रिपुरा	115	75	40	120	96	24	120	97	23	121	97	24
35	उत्तर प्रदेश	3225	2037	1188	3416	2578	838	3634	2581	1053	3634	2581	1053
36	उत्तराखंड	293	234	59	294	228	66	297	255	42	298	254	44
37	पश्चिमी बंगाल	1013	938	75	1014	918	96	1014	918	96	1014	918	96
	कुल	**23951**	**18596**	**5355**	**23721**	**18810**	**4911**	**24247**	**19319**	**4928**	**24368**	**19236**	**5132**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *122
जिसका उत्तर बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

लोक अदालतें

***122. डॉ. संजय जायसवाल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिए देश में और अधिक लोक अदालतों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों में वर्तमान में कार्य कर रही लोक अदालतों की संख्या कितनी है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इससे उच्च न्यायालयों एवं निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या किस सीमा तक कम हुई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘लोक अदालतें’ से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2021 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (घ) में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ग) : लोक अदालत जनसाधारण को उपलब्ध एक महत्वपूर्ण अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय के समक्ष लंबित या मुकदमा-पूर्व स्तर पर विवाद/मामले सौहार्दपूर्वक निपटाए जाते हैं । उनमें समझौता किया जाता हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह अंतिम तथा सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है और किसी न्यायालय के समक्ष इसके विरुद्ध अपील नहीं होती है । न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी करने और मुकदमा-पूर्व स्तर पर मामलों के निपटान के लिए भी विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो वह उचित समझे, लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं । लोक अदालत स्थायी स्थापन नहीं है । तथापि, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अनुसार आवश्यकतानुसार लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं । राष्ट्रीय लोक अदालतें पूर्व नियत तारीख पर सभी ताल्लुक, जिला और उच्च न्यायालयों में साथ-साथ आयोजित की जाती हैं ।

इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 22ख प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के मामलों को मुकदमा-पूर्व स्तर पर निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए भी उपबंध करती है । विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 356 स्थायी लोक अदालतें कार्यरत हैं । राज्य-वार स्थायी लोक अदालतें और निपटाए गए मामलें **उपाबंध–क** पर हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य लोक अदालतों और राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए राज्यवार मामलें (मुकदमा-पूर्व स्तर और लंबित मामले दोनों) क्रमश: **उपाबंध-ख** और **उपाबंध-ग** पर है ।

कोविड काल के दौरान न्याय तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों ने न्याय प्रदान करने की पारंपरिक रीति में प्रवीणता के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ा है और लोक अदालतों को तारीख 26.06.2020 को वर्चुअल प्लेटफार्म में बदला है । इन ई-लोक अदालतों द्वारा जून, 2020 से मई, 2021 तक 4.42 लाख से अधिक मामले निपटाए गए हैं ।

(घ) : राज्य लोक अदालतों और राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों (मुकदमा-पूर्व स्तर और लंबित मामले दोनों) के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: उपाबंध ख और उपाबंध ग पर है ।

****

उपाबंध-क

डॉ. संजय जायसवाल द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 जिसका उत्तर 28.07.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में यथा निर्दिष्ट विवरण

विगत तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात 2018 से 2020 और चालू वर्ष, 2021 (मई तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगी सेवाएं) द्वारा निपटाए गए मामलों की सूचना को अंर्तविष्ट करने वाला एक विवरण

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	कार्यरत स्थाई लोक अदालत	2018	2019	2020	2021 (मई तक)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	9	1966	1317	980	839
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	11	99	34	5	19
5	बिहार	9	422	521	301	82

6	छत्तीसगढ	5	151	67	37	25
7	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0
8	दमण और दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	3	17262	14376	11854	8898
10	गोवा	2	109	57	0	30
1 1	गुजरात	4	553	110	10	105
12	हरियाणा	21	39585	37213	16191	5029
१३	हिमाचल प्रदेश	4	69	95	21	8
14	जम्मू - कश्मीर	0	0	0	0	0
15	झारखंड	24	3215	8649	3137	1009
16	कर्नाटक	6	4841	4547	4635	1293
17	केरल	3	629	298	310	103
१८	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	50	2936	378	264	146
20	महाराष्ट्र	4	5567	2848	610	110
21	मणिपुर	0	0	0	0	0
22	मेघालय	0	0	0	0	0
23	मिजोरम	2	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0	0
25	ओड़िशा	22	1195	1424	1434	650
26	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
२७	पंजाब	22	11699	6723	3818	2593
28	राजस्थान	35	4257	4095	1411	643
29	सिक्किम	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	32	0	20	52	79
31	तेलंगाना	6	5091	2128	1591	525
32	त्रिपुरा	6	173	177	31	0
33	चंडीगढ़	1	1779	514	130	113
34	उत्तर प्रदेश	71	2447	1007	393	265
35	उत्तराखंड	4	104	282	260	363
36	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0
37	लद्दाख	0	0	0	0	0
	कुल योग	**356**	**104149**	**86880**	**47475**	**22927**

टिप्पण : लद्दाख विधि सेवा प्राधिकरण का गठन फरवरी मास 2021 में किया गया था।

उपाबंध-ख

डॉ. संजय जायसवाल द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 जिसका उत्तर 28.07.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में यथा निर्दिष्ट विवरण

विगत तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात 2018 से 2020 और चालू वर्ष, 2021 (मई तक) के दौरान राज्य लोक अदालतों में निपटारा किए गए मामलों के निपटान को अंर्तविष्ट करने वाला एक विवरण

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	2018		2019		2020		2021 (मई तक)	
		मुकदमेबाजी पूर्व मामलों का निपटान	लंबित मामलों का निपटान	मुकदमेबाजी पूर्व मामलों का निपटान	लंबित मामलों का निपटान	मुकदमेबाजी पूर्व मामलों का निपटान	लंबित मामलों का निपटान	मुकदमेबाजी पूर्व मामलों का निपटान	लंबित मामलों का निपटान
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	75	0	99	191	84	6	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2740	11490	2057	10357	783	22994	859	10878
3	अरुणाचल प्रदेश	15	15	74	49	13	12	0	0
4	असम	1942	76649	741	40631	112	144	0	0
5	बिहार	2121	208	1035	154	211	113	75	22
6	छत्तीसगढ	396	5045	690	3234	1	2436	13	1192
7	दादरा और नागर हवेली	0	0	2	3	0	0	0	0
8	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	2556	0	15882	2333	1642	19329	4445	171058
10	गोवा	43	209	51	32	0	1	65	712
1 1	गुजरात	2071	15273	1364	22560	1145	15922	2365	6727
12	हरियाणा	0	146409	0	134509	3627	48453	0	31639
13	हिमाचल प्रदेश	102	69813	0	80117	1814	9557	0	114
14	जम्मू - कश्मीर	3692	6667	2191	14402	1208	4720	1058	4162
15	झारखंड	3304	8499	2562	7393	71009	11257	1770	3938
16	कर्नाटक	7425	87419	2957	48142	7668	126440	47	2618
17	केरल	26974	5986	20025	5014	5309	1235	2964	1139
18	लक्षद्वीप	201	0	2	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	530	3391	1088	8049	695	11172	265	4977
20	महाराष्ट्र	14	809	1302	6786	2	134	0	511
21	मणिपुर	28	0	0	0	14	7	0	0
22	मेघालय	86	90	0	0	0	0	0	0
23	मिजोरम	403	59	383	119	126	72	31	49
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ओड़शा	98	137329	29	53615	173	13026	0	0
26	पुदुचेरी	723	261	786	180	169	159	29	216
27	पंजाब	6494	22282	364	5884	0	396	0	0
28	राजस्थान	3155	9634	1293	6150	4609	30522	64	648
29	सिक्किम	533	293	428	137	211	46	39	37
30	तमिलनाडु	9776	7662	8775	7863	4298	8295	2581	3581
31	तेलंगाना	3481	9621	5651	8071	3655	18787	1862	3396
32	त्रिपुरा	272	55902	723	31653	940	40	152	6239
33	चंडीगढ़	82	1	30	0	7	0	14	0
34	उत्तर प्रदेश	16249	25824	1889	4710	36	62336	31884	6778
35	उत्तराखंड	4	10545	26	27495	217	3487	0	3693
36	पश्चिमी बंगाल	510776	34217	9667	12660	2654	15263	789	3716
37	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**606361**	**751602**	**82166**	**542493**	**112432**	**426361**	**51371**	**268040**

नोट: लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन फरवरी मास, 2021 में किया गया था।

उपाबंध-ग

डॉ. संजय जायसवाल द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *122 जिसका उत्तर 28.07.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में यथा निर्दिष्ट विवरण

वर्षों अर्थात 2018, 2019, 2020 और 2021 (जुलाई 2021 तक) के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की सूचना को अंतर्विष्ट करने वाला एक विवरण

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	2018		2019		2020		2021 (जुलाई तक)	
		मुकदमेबाजी पूर्व मामलों का निपटान	लंबित मामलों का निपटान	मुकदमेबाजी पूर्व मामलों का निपटान	लंबित मामलों का निपटान	मुकदमेबाजी पूर्व मामलों का निपटान	लंबित मामलों का निपटान	मुकदमेबाजी पूर्व मामलों का निपटान	लंबित मामलों का निपटान
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	84	164	32	873
2	आंध्र प्रदेश	28996	66021	8224	89191	1504	36392	1551	33284
3	अरुणाचल प्रदेश	947	391	399	189	34	70	171	138
4	असम	19841	11351	16434	5162	9100	3088	8131	3275
5	बिहार	151050	19933	144071	20913	59246	7205	31091	8593
6	चंदीगढ़	326	11457	907	10281	18	2551	23	2259
7	छत्तीसगढ	36340	34022	20762	36886	5507	18957	20620	16657
8	दादरा और नागर हवेली	10	160	1860	161	1657	111	0	52
9	दमण और दीव	37	70	198	51	0	31	0	57
10	दिल्ली	12022	63524	28065	43312	9095	73911	12	26312
11	गोवा	1438	1266	456	1109	122	229	6	211
12	गुजरात	41818	95287	43469	149681	12882	28702	24345	278697
13	हरियाणा	32984	58157	40633	62665	12906	17392	10153	29004
14	हिमाचल प्रदेश	4943	15355	10695	14737	3023	2948	6758	6828
15	जम्मू - कश्मीर	19312	40018	8944	23233	2613	10645	10126	18115
16	झारखंड	47385	24673	33098	16130	33205	19947	29180	18151
17	कर्नाटक	14830	85127	32020	249829	20870	313811	19113	313823
18	केरल	66208	39805	83528	45201	10959	4051	4380	28312
19	लक्षद्वीप	103	0	1	3	8	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	191949	118620	157676	76757	78344	30021	76654	32119
21	महाराष्ट्र	660134	148491	334306	94070	161993	53844	0	0
22	मणिपुर	1600	89	1917	77	176	28	266	37
23	मेघालय	447	489	409	286	178	125	255	170
24	मिजोरम	1056	20	470	25	179	39	252	44
25	नागालैंड	2061	267	829	144	224	27	129	5
26	उड़ीसा	13371	27917	13394	29803	5447	12882	2649	10892
27	पुदुचेरी	670	4075	872	3322	163	1575	18	2343
28	पंजाब	37627	74144	20307	68709	5524	27004	5060	35502
29	राजस्थान	47754	117867	49890	169208	23378	79682	12700	63438
30	सिक्किम	141	92	115	50	21	9	26	21
31	तमिलनाडु	106217	369536	29909	310685	7191	81628	2457	47082
32	तेलंगाना	45114	43021	56241	54597	21984	25576	18129	78799
33	त्रिपुरा	2526	319	3112	242	225	157	47	62
34	उत्तराखंड	7851	26636	9113	16945	2792	5296	890	4356
35	उत्तर प्रदेश	1656280	1068336	1498268	986137	766688	404334	738240	478533
36	पश्चिमी बंगाल	19250	43387	25891	36999	7595	21001	0	0
37	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	29	464
	कुल योग	**3272638**	**2609923**	**2676483**	**2616790**	**1264935**	**1283433**	**1023493**	**1538508**

टिप्पण : लद्दाख विधि सेवा प्राधिकरण का गठन फरवरी मास 2021 में किया गया था।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2531
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक निर्णयों में विलम्ब

+2531. श्री रमेश चन्द्र कौशिक :

श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरोना महामारी के कारण देश में न्यायिक निर्णय देने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है जिसके कारण विचाराधीनों को समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटान करने के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों का त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है । राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन की उद्घोषणा के पश्चात् संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों को समय-समय पर स्थानीय स्थितियों पर निर्भर करते हुए वर्चुअल या भौतिक रीति से अत्यावश्यक सिविल और दांडिक मामले की सुनवाई करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं । अधिकतर उच्च न्यायालयों ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को यह भी सलाह दी है कि जहां कोई शट-डाउन/लॉक-डाउन नहीं है, वहां वे जहां तक संभव हो वर्चुअल/भौतिक रीति से वापस सामान्य कामकाज कर सकेंगे और सभी प्रकार के मामलों पर जिसके अंतर्गत विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामले भी हैं, विचार कर सकेंगे ।

कोविड-19 विषाणु के, विशिष्टतया, भीड़भाड़ वाले कारागारों में फैलने के जोखिम के मध्यनजर, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (साल्सा) के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधान सचिव (गृह/कारागार), कारागार महानिदेशक (महानिदेशकों) से मिल कर बनी उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसीएस) गठित की है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (साल्साओं) से विचाराधीन कैदियों/दोषसिद्ध

व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हे या तो अंतरिम जमानत पर या पैरोल पर निर्मुक्त करने को सुकर बनाने के लिए उच्च अधिकार युक्त समितियों की प्रभावी रूप से सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है । लॉक-डाउन, मार्च से मई, 2020 के दौरान 58,797 विचाराधीन कैदी और 20,972 दोषसिद्ध व्यक्ति उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर या विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रयासों के माध्यम से अंतरिम जमानत/पैरोल पर निर्मुक्त किए गए थे ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (साल्साओं) को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नयाचार के अनुसार साप्ताहिक/मासिक आधार पर विचाराधीन कैदी पुनर्विलोकन समिति (यूटीआरसी) की बैठकें आयोजित करने का भी निदेश दिया है । वर्ष 2020-21 के दौरान विचाराधीन कैदी पुनर्विलोकन समिति (यूटीआरसी) द्वारा 10,961 बैठकें आयोजित की गई थीं और विचाराधीन कैदी पुनर्विलोकन समिति (यूटीआरसी) की सिफारिशों के अनुसरण में 13,983 निवासी निर्मुक्त किए गए थे । इसके अतिरिक्त, मई, 2021 से 15 जुलाई, 2021 के दौरान संपूर्ण देश में कैदी पुनर्विलोकन समिति (यूटीआरसी) द्वारा 2,515 से अधिक बैठकें आयोजित की गई थीं । कैदी पुनर्विलोकन समिति (यूटीआरसी) की सिफारिशों पर 20,593 जमानत आवेदन फाइल किए गए थे और परिणामस्वरूप 9,237 कैदी निर्मुक्त किए गए थे ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने संदिग्ध और आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तारी पूर्व, गिरफ्तारी पर और प्रतिप्रेषण स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए गिरफ्तारी पूर्व, गिरफ्तारी पर और प्रतिप्रेषण स्तर पर न्याय तक शीघ्र पहुंच के लिए नयाचार जारी किया है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा जनवरी, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान संकलित आंकड़े के अनुसार गिरफ्तारी पूर्व स्तर पर 5,840 संदिग्ध/आरोपित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई थी जिसके अनुसरण में 1,871 संदिग्ध/आरोपित व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए गए थे । इसके अतिरिक्त 6,510 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पुलिस स्टेशनों पर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले सहायता प्रदान की गई थी । इसके अलावा, उसी अवधि के दौरान 1,04,015 कैदियों को प्रतिपेषण स्तर पर विधिक सहायता प्रदान की गई थी और 46,735 जमानत आवेदन फाइल किए गए थे जिनमें से ऐसे 25,894 मामलों में जमानत प्रदान की गई थी ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) में ऐसे दोषसिद्ध व्यक्तियों जो शीघ्र निर्मुक्ति के लिए परिहार प्राप्त करने के लिए पात्र हो गए हैं या पात्र होने वाले हैं की पहचान करने और उन्हें आवश्यक विधिक सेवा प्रदान करने का भी निदेश दिया है । कोविड-19 की दूसरी लहर के आविर्भाव के पश्चात् 92,593 कैदी जिसके अंतर्गत 70,382 विचाराधीन कैदी भी हैं निर्मुक्त किए गए हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2562
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के रिक्त पद

2562. श्री जयदेव गल्ला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के जिला न्यायालयों में वर्तमान में रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पदों की संख्या जिला-वार कितनी है और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या जिला-वार और वर्ष वार कितनी है और इस बैकलॉग के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकार को रिक्तियों को भरने के लिए राजी कर रही है ; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुसार आंध्र प्रदेश के जिला न्यायालयों के संबंध में वर्तमान में खाली पड़े न्यायाधीशों के पदों की संख्या और जब से वे खाली पड़े हैं, का विवरण **उपाबंध-1** में संलग्न है।

(ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान जिले-वार लंबित मामलों की संख्या का वर्ष-वार विवरण, जैसा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किया गया है, **उपाबंध-2** में संलग्न है। किसी मामले के निपटान में लगने वाला समय कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे की मामले की श्रेणी (सिविल या अपराधिक), अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात भौतिक आधारभूत संरचना, न्यायालय के सहायक कर्मचारी और लागू प्रक्रिया नियम के अतिरिक्त बार, अन्वेषण एजेंसी, साक्षी और कक्षीकार हैं। ऐसे कई कारक हैं जो मामले के निपटान में देरी कर सकते हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन, मानीटर, ट्रैक के लिए प्रयाप्त व्यवस्था की कमी, सुनवायी के लिए बंच मामले आदि।

(ग) और (घ) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है । इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के साथ

राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के संबंध में नियम और विनियम जारी करती है । अतः, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालय यह कार्य करते हैं और अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह कार्य करते हैं ।

संविधान के अधीन संघ सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भी भूमिका नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मजहर के वाद में अपने आदेश तारीख 4 जनवरी, 2007 में अधीनस्थ न्यायालय में रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और समय-सीमा इजाद की है जो नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए प्रक्रिया कैलेंडर वर्ष में 31 मार्च को प्रारंभ होकर उसी वर्ष 31 अक्तूबर को समाप्त हो जाएगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को राज्य में विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु संबंधित परिस्थितियों या अन्य संबंधित परिस्थितियों पर आधारित किसी कठिनाई की दशा में समय अनुसूची में भिन्नता के लिए अनुज्ञात किया हुआ है ।

उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, न्याय विभाग ने मलिक मजहर के निर्णय के प्रति सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार को आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित की है । न्याय विभाग, सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को मलिक मजहर मामले द्वारा दिए गए निर्णयानुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना शीघ्र करने के लिए समय-समय पर लिखता रहता है ।

सितंबर, 2016 में संघ के विधि और न्याय मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिला और अधिनस्थ न्यायालयों में काडर संख्या बढ़ाने और राज्य की न्यायपालिका की भौतिक आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए पत्र लिखा। मई, 2017 में भी इसे दोहराया गया था। अगस्त 2018 में, मामलों के बढ़ते हुए लंबन के संदर्भ में, संघ के विधि और न्याय मंत्री आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालय के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों को नियमित रुप से रिक्तियों की स्थिति को मानीटर करने के लिए पत्र लिखा है और मलिक मजहर सुल्तान के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित समय अनुसूची के अनुसार खाली रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने को कहा। रिक्तियों को भरे जाने के लिए उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से 2018 की रिट याचिका (सिविल) सं. 2 द्वारा मानीटर कर रही है।

****

उपाबंध-1

न्यायाधीशों के रिक्त पद से संबंधित लोक सभा अतारांतिक प्रश्न संख्या 2662 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां	तारीख जब से पद रिक्त है ।
1.	अनन्तापुर	08	07	01	तारीख 26.03.2020 से अध्यक्ष औद्योगिक अधिकरण-सह-पी ओ एल सी, अनन्थापुरमू
2.	चित्तूर	13	09	04	जुलाई, 2021 से ए डी जे VI चित्तूर 01.01.2021 से पोस्को न्यायालय जुलाई,2021 से ए डी जे X, तिरुपति 01.09.2021 से ए डी जे VII, मदनापल्ली
3.	कुड्डापट्ट	08	06	02	02.07.2020 से ए डी जे I, कडप्पा तारीख उपलब्ध नहीं है ए डी जे VII (महिला) न्यायालय, कडप्पा
4.	पूर्वी गोदावरी	13	07	06	फरवरी, 2021 से पोस्को न्यायालय, काकीनाडा जुलाई, 2021 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष न्यायाधीश, राजामहेन्द्रावरम जुलाई, 2021 से न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, राजामहेन्द्रावरम 01.01.2020 से ए डी जे V, राजामहेन्द्रावरम 01.07.2021 से, ए डी जे VIII, राजामहेन्द्रावरम 01.06.2021 से ए डी जे VI, काकीनाड़ा
5.	गुंटूर	12	07	05	26.08.2020 से ए डी जे III, गुंटूर जुलाई, 2021 से न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, गुंटूर 02.10.2019 से पोस्को न्यायालय, गुंटूर 12.09.2019 से ए डी जे X, गुराजाला जुलाई, 2021 से ए डी जे V, गुंटूर
6.	कृष्णा	21	11	10	जून, 2020 से ए डी जे I, मछलीपट्नम 01.08.2020 से ए डी जे VI, मछलीपट्नम फरवरी, 2021 से एस पी ई और ए सी बी न्यायालय, विजयवाड़ा 10.07.2020 से ए डी जे XIV, विजयवाड़ा 01.02.2018 से सहकारी अधिकरण, विजयवाड़ा 02.10.2019 से पोस्को-न्यायालय, विजयवाड़ा जून, 2020 से ए डी जे VII, विजयवाड़ा 07.03.2018 से संसद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय, विजयवाड़ा 15.12.2016 से वित्तीय स्थापन निक्षेपकर्ता संरक्षण अधिनियम 1999 के लिए विशेष-न्यायालय, विजयवाड़ा जुलाई, 2021 से ए डी जे XVI, नंदीग्राम
7.	कुरनूल	09	07	02	जुलाई, 2021 से ए डी जे I, कुरनूल तारीख उपलब्ध नहीं है ए डी जे VII (महिला) न्यायालय, कुरनूल
8.	नेल्लोर	10	08	02	जुलाई 2021 से ए डी जे VII (महिला) न्यायालय, नेल्लोर 02.10.2019 से पोस्को-न्यायालय, नेल्लोर

9.	प्रकासम	07	04	03	जुलाई, 2021 से पारिवारिक न्यायालय, अंगोले 19.09.2019 से, ए डी जे ।।,अंगोले 02.10.2019 से पोस्को न्यायालय, अंगोले
10.	श्रीकाकुलम	07	04	03	24.06.2020 से ए डी जे ।, श्रीकाकुलम 01.03.2021 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के लिए विशेष न्यायालय 01.02.2014 से ए डी जे V, लक्ष्मीपेटा
11.	विशाखापट्नम	21	14	07	08.07.2020 से ए डी जे ।।।, विशाखापट्नम 31.08.2020 से पारिवारिक न्यायालय मई, 2018 से अपर सी बी आई । और ।।। 11.04.2018 से वैट अपीलीय अधिकरण 07.07.2020 से ए डी जे VI। जुलाई, 2021 से ए डी जे XIII
12.	विजयनगरम	06	04	02	01.06.2021 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष न्यायालय 06.03.2021 से ए डी जे V, विजयनगरम
13.	पश्चिमी गोदावर	11	06	05	01.06.2021 से अध्यक्ष एल आर ए टी-सह- ए डी जे ।।, इलुरु 10.10.2020 से न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय 10.07.2020 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष न्यायालय 01.01.2019 से ए डी जे V, इलुरु जुलाई, 2020 से ए डी जे X, नरसापुर
योग		146	94	52	

उपाबंध-2

न्यायाधीशों के रिक्त पद से संबंधित लोक सभा अतारांतिक प्रश्न संख्या 2662 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिले-वार और वर्ष-वार लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (30.06.2021 तक)
1	अनंतपुर	4577	5952	6568	6370	5973	6568
2	चित्तूर	9289	9472	8978	9024	9190	9839
3	कुड्डापा	5665	5891	5708	6306	7611	8260
4	पूर्वी गोदावरी	9197	10622	11294	12652	13954	15789
5	गुंटूर	9844	11566	12994	14618	14106	15649
6	कृष्णा	13444	14731	15331	16095	18201	19945
7	कुरनूल	6484	8023	8703	9124	7993	8547
8	नेल्लोर	6819	6691	6608	7191	7687	8613
9	प्रकाशम	4370	5189	6513	7125	7842	7923
10	श्रीकाकुलम	2586	2524	2188	2274	2880	3374
11	विशाखापट्टनम	17711	18522	20492	20432	21564	22385
12	विजियानगरम	2384	2641	2467	2947	3120	3241
13	पश्चिम गोदावरी	7350	8117	8892	10380	10459	11081

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2569
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

न्यायालय में लंबित मामले

2569. श्री अरविंद धर्मापुरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में स्थित न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या का रिकॉर्ड रखती है ;

(ख) यदि हा. तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार अपनी ओर से भारत में त्वरित न्याय देने के लिए कदम उठा रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में, राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी क्रमश: **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर है। तारीख 02.07.2021 को यथाविद्यमान माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 69,212 है।

(ग) और (घ) : न्यायालयों में मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे हेतु कोई समयसीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे और लंबित मामलो में कमी के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे हेतु पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं । न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,644.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, से बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 20,218 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 17,815 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,693 न्यायालय हाल और 1,852 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमे से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक 5063 की वृद्धि दर्ज करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.07.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 18.77 करोड़ मामलों तथा 14.61 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में बारह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 12.07.2021 तक इन न्यायालयों ने 75 लाख मामले निपटाए तथा 160.05 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 30.06.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 74,15,989 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 40,43,300 सुनवाइयां (कुल 1.14 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 09.07.2021 तक 96,239 सुनवाइयां की ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 01.03.2021 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 602 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 551 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
29.07.2021	24,368	19,259

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप

में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 30.04.2021 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 870 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में शामिल हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जून, 2021 तक 39.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 640 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 338 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.05.2021 तक 50,484 मामले निपटाए हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

उपाबंध-1

न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2569 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	29.07.2021 तक लंबित मामले
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	799139
2.	बंबई उच्च न्यायालय	559314
3.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	268476
4.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	53570
5.	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	247976
6.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	215093
7.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	77840
8.	दिल्ली उच्च न्यायालय	101658
9.	गुजरात उच्च न्यायालय	151022
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	79832
11.	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय	53462
12.	झारखंड का उच्च न्यायालय	86229
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	283240
14.	केरल उच्च न्यायालय	221248
15.	मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय	404250
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय	4685
17.	मेघालय उच्च न्यायालय	1382
18.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	698588
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय	554343
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय	221
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1508
22.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	40814
23.	मद्रास उच्च न्यायालय	582599
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	175710
25.	पटना उच्च न्यायालय	214433
	कुल	**5876632**

स्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड।

उपाबंध-2

न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2569 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	29.07.2021 तक लंबित मामले
1.	आंध्र प्रदेश	7,10,627
2.	अरुणाचल प्रदेश*	----
3.	असम	3,78,101
4.	बिहार	33,15,499
5.	चंडीगढ़	64,397
6.	छत्तीसगढ	3,58,540
7.	दिल्ली	10,48,718
8.	दमण और दीव	2,994
9.	सिलवासा, दादर और नागर हवेली	3,591
10.	गोवा	59,998
11.	गुजरात	20,38,575
12.	हरियाणा	12,27,281
13.	हिमाचल प्रदेश	4,51,778
14.	जम्मू - कश्मीर	2,45,039
15.	झारखंड	4,78,545
16.	कर्नाटक	19,49,413
17.	केरल	19,89,297
18.	लद्दाख	833
19.	लक्षद्वीप*	----
20.	मध्य प्रदेश	17,55,610
21.	महाराष्ट्र	49,20,820
22.	मणिपुर	11,916
23.	मेघालय	10,823
24.	मिजोरम	4,961
25.	नागालैंड	2,489
26.	उड़ीसा	14,62,304
27.	पुदुचेरी	34,456
28.	पंजाब	9,18,667
29.	राजस्थान	19,62,887
30.	सिक्किम	1,853
31.	तमिलनाडु	12,95,249
32.	तेलंगाना	7,51,958
33.	त्रिपुरा	41,680
34.	उत्तर प्रदेश	90,65,145
35.	उत्तराखंड	2,84,535
36.	अण्डमान और निकोबार*	----
37.	पश्चिमी बंगाल	24,82,373
	कुल	**3,93,30,952**

स्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड।

*अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में डेटा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2570
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय का विभाजन

2570. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन विधि आयोगों (11वें, 10वें और 18वें) ने उच्चतम न्यायालय का दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय और तत्पश्चात् देश के चार भागों में एक-एक न्यायालय के रूप में विभाजन की सिफारिश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ग) मंत्रालय के समक्ष आ रही कठिनाईयों का ब्यौरा क्या है और इनका समाधान करने के लिए क्या योजना बनाई जा रही हैं;

(घ) क्या ऐसी मांग की गई है और 18वें विधि आयोग ने सिफारिश की है कि मध्य में स्थित होने के नाते हैदराबाद में उच्चतम न्यायालय की दक्षिणी खण्ड स्थापित की जाए ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर, नियत करे।

ग्यारहवें विधि आयोग ने "उच्चतम न्यायालय-एक नई दृष्टि" शीर्षक विषय पर अपनी 125वीं रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत किया, दसवें विधि आयोग ने अपनी 95वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजन अर्थात् (i) दिल्ली में संवैधानिक पीठ (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय स्थापित करने की अपनी सिफारिश को दोहराया । अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक पीठ स्थापित की जाए और दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र, चेन्नई/हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र और मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र की चार अपीलीय पीठों को स्थापित किया

मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सौंपा गया, जिन्होंने सूचित किया कि मामले पर विचार करने के पश्चात्, 18 फरवरी, 2010 में हुई अपनी पूर्ण पीठ की बैठक में दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय के पीठों की स्थापना का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्लू पी (सी) सं. 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने 13.07.2016 के निर्णय के माध्यम से उपरोक्त मुद्दे को प्राधिकारपूर्ण निर्णय के लिए संवैधानिक पीठ को संदर्भित करना उचित समझा। मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2571
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

त्वरित न्यायालय

2571. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
डॉ. निशिकांत दुबे :
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित न्यायालय योजना के अंतर्गत अभिकल्पित लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) देश में त्वरित न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और झारखंड और कर्नाटक सहित गठित और कार्यरत एफटीसी की संख्या कितनी है :

(ग) तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन न्यायालयों द्वारा प्राप्त उपलब्धि तथा स्थानांतरित और निपटाए गए मामले एवं वर्तमान में इन न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी न्यायालयों के लिए कुल आवंटित और व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या एफटीसी को प्रदान की जा रही निधि इन न्यायालयों के आवर्ती और अनावती व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है एवं यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(च) क्या कुछ राज्य केन्द्रीय सहायता बंद करने के बाद से ही अपने संसाधनों से एफटीसी को सहायता प्रदान कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(छ) क्या सरकार का विचार देश में अधिक संख्या में एफटीएस स्थापित करने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (छ) : त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना का लक्ष्य और उद्देश्य जघन्य अपराधों, ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग और एच आई वी- एड्स से प्रभावित कक्षीकारों और अन्य लाइलाज बीमारियों और भूमि अर्जन से संबंधित सिविल विवादों और पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित सम्पत्ति/भाटक मामले के त्वरित निपटान के लिए है।

त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना और इसकी कार्य पद्धति संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन 11वें वित्त आयोग के दौरान लम्बे समय से लंबित मामलों के निपटान के अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर किया गया था कि एक ऐसा न्यायालय एक वर्ष में 168 मामलों का निपटारा करता है। तत्पश्चात् 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि स्थापित किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या राज्य के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या की 10% होनी चाहिए । 14वें वित्त आयोग 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों को स्थापित करने की सिफारिश की थी और राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया था कि इस प्रयोजन के लिए कर न्यागमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए वित्तीय स्थान का उपयोग करें। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा आंवंटित निधियों और 14वें वित्त आयोग के आगे की अवधि से इन न्यायालयों पर उनके व्यय का विवरण केंद्रीय सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है। वर्तमान में, झारखंड और कर्नाटक सहित 956 कार्यरत त्वरित न्यायालय हैं। झारखंड और कर्नाटक सहित देश में प्रस्तावित और कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या **उपाबंध-1** पर दी गई है। अंतिम तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ इन त्वरित निपटान न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराया गया है की सूचना **उपाबंध-2** में दी गई है।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2571 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है।

देश में प्रस्तावित और कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या (मई, 2021)
1.	आंध्र प्रदेश	47	21
2.	तेलंगाना	37	34
3.	असम	36	15
4.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
5.	मिजोरम	07	2
6.	नागालैंड	03	1
7.	बिहार	147	33
8.	छत्तीसगढ	28	23
9.	गुजरात	174	35
10.	हिमाचल प्रदेश	13	0
1 1	जम्मू-कश्मीर	21	7
12.	झारखंड	50	41
13.	कर्नाटक	95	16
14.	केरल, लक्षद्वीप	41	28
15.	मध्य प्रदेश	133	0
16.	महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमण और दीव	204	114
17.	गोवा	05	3
18.	मणिपुर	03	6
19.	मेघालय	04	0
20.	ओडिशा	63	0
21.	पंजाब	50	7
22.	चंडीगढ़	02	0
23	हरियाणा	48	6
24.	राजस्थान	93	0
25.	सिक्किम	01	2
26.	तमिलनाडु, पुडुचेरी	89	74
27.	त्रिपुरा	09	11
28.	उत्तर प्रदेश	212	372
29.	उत्तराखंड	28	4
30.	पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीव समूह	94	88
31.	दिल्ली	63	13
	कुल	**1800**	**956**

उपाबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2571 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है ।

लंबित मामलों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों में निपटाए गए मामलों की संख्या के संबंध में सूचना ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2018 में निपटाए गए मामलों की संख्या	2019 में निपटाए गए मामलों की संख्या	2020 में निपटाए गए मामलों की संख्या	2021 में निपटाए गए मामलों की संख्या (मई 2021 तक)	लंबित मामले (31.05.2021 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	3949	427	26	26	6153
2.	असम	2314	1319	302	328	8744
3.	मिजोरम	215	79	13	8	201
4.	नगालैंड	8	0	1	1	30
5.	बिहार	11525	1789	184	350	12252
6.	छत्तीसगढ	3862	996	194	175	6829
7.	दिल्ली	638	226	21	4	4638
8.	गोवा	0	0	0	11934	1836
9.	महाराष्ट्र	160641	29779	5119	3039	163112
10.	गुजरात	0	0	35	22	5682
1 1	हरियाणा	768	162	1	3	724
12.	पंजाब	0	0	23	13	431
13.	जम्मू और कश्मीर	0	20	0	62	2261
14.	झारखंड	1946	430	14	4	5986
15.	कर्नाटक	0	0	44	44	3346
16.	केरल	0	0	101	24	6477
17.	मणिपुर	190	19	10	1	435
18.	सिक्किम	19	8	0	0	20
19.	तमिलनाडु	14911	688	2811	83	94252
20.	त्रिपुरा	1423	38	18	7	1560
21.	उत्तर प्रदेश	234182	71034	7083	2638	526704
22.	उत्तराखंड	562	83	14	10	664
23	पश्चिमी बंगाल	16358	3071	708	102	58955
24.	तेलंगाना	1694	4942	178	87	12200
	कुल	**455205**	**115110**	**16900**	**18965**	**923492**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2597
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय का उन्नयन

2597. श्री तोखेहो येपथोमी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में पूर्ण क्षमता युक्त उच्च न्यायालय के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : नागालैंड के मुख्यमंत्री ने तारीख 25.06.2021 के पत्र द्वारा नागालैंड राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया था । नागालैंड राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 का संशोधन अपेक्षित होगा । वर्तमान में, नागालैंड राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव इस विभाग के पास लंबित नहीं है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2599
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

न्यायालय में लंबित मामले

2599. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सभी मामलों के आकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इतनी बड़ी संख्या में लंबन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कमजोर बुनियादी ढांचा मुख्य कारणों में से एक कारण है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए है ;

(घ) सरकार द्वारा देश में अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ड) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ की न्यायोचित और पुरानी मांग को स्वीकार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : 30.07.2021 को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक के अधीनस्थ न्यायालयों में 19,59,565 मामले लम्बित हैं । मामले के निपटारे के लिए लिया गया समय कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे मामले का प्रवर्ग (सिविल या दांडिक), अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे भौतिक अवसंरचना, सहयोगी न्यायालय कर्मचारिवृंद और लागू प्रक्रिया नियमों के अलावा बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और वादी । कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारम्बार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों की मोनिटरी, खोजने तथा समूहबद्ध करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की कमी भी है ।

(ग) : राज्य सरकारों का यह प्राथमिक दायित्व है कि वे उच्च न्यायालयों और जिला/ अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना/न्यायालय कक्ष प्रदान करें । संघ की सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से राज्य सरकारों के संसाधनों का वर्धन करने हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है

। इस स्कीम का कार्यान्वयन 1993-94 से किया जा रहा है । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमे ं से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के सनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा । इसके अन्तर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हाल और न्यायालय परिसरों तथा आवासों का सन्निर्माण है । आज तारीख तक, कर्नाटक की राज्य सरकार को 720.49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कर्नाटक राज्य में 1,198 न्यायालय हाल तथा 1,114 आवासीय ईकाइयां उपलब्ध हैं ।

(घ) : न्यायालयों में मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे हेतु कोई समयसीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे और लंबित मामलो में कमी के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे हेतु पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं । न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,644.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 20,218 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 17,815 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,693 न्यायालय हाल और 1,852 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमे से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के सनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या

में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.07.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 18.77 करोड़ मामलों तथा 14.61 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में बारह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 12.07.2021 तक इन न्यायालयों ने 75 लाख मामले निपटाए तथा 160.05 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 30.06.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 74,15,989 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 40,43,300 सुनवाइयां (कुल 1.14 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 09.07.2021 तक 96,239 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 01.03.2021 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 602 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 551 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115

29.07.2021	24,368	19,259

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 30.04.2021 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 870 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में शामिल हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जून, 2021 तक 39.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 640 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 338 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.05.2021 तक 50,484 मामले निपटाए हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ङ) : उच्च न्यायालय की खंडपीठें, इसकी मुख्य पीठ से भिन्न किसी स्थान पर, जसंवत सिंह आयोग की सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 2000 की 379 में दिए गए निर्णय के अनुसार तथा राज्य सरकार से अवसंरचना प्रदान करने तथा व्ययों की पूर्ति हेतु तैयार होने को सम्मिलित करते हुए, जिसके साथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति हो, पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात् गठित की जाती हैं । वर्तमान में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ (खंडपीठें) स्थापित करने के संबंध में कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के समक्ष लम्बित नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2646
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की सिफारिशें

+2646. श्री सदाशिव किसान लोखंडे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की ओर से विभिन्न विषयों के संबंध में कोई सुझाव और सिफारिशें प्राप्त हुई ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से प्राप्त सुझाव और सिफारिशें मुख्यत: न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित होती हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020 के दौरान उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 18 सिफारिशें की गई थी और वे सभी नियुक्त किए गए थे।

विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020 में उच्च न्यायालय कॉलेजियमों (एससीसी) द्वारा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए 505 सिफारिशें की गई थी, जिनमें से, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 209 नामों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त किया गया था, 153 नामों को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नामंजूर कर दिया गया था और उन्हें उच्च न्यायालयों को वापिस कर दिया था। शेष 143 नामों के अतिरिक्त, वर्ष 2021 में उच्च न्यायालय कॉलेजियमों से 94 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के समक्ष विभिन्न प्रक्रमों के अधीन है। उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत्, एकीकृत और कार्यपालिका तथा न्यायापालिका के मध्य एक सहयोगकारी प्रक्रिया है जिसके लिए केंद्रीय और राज्य दोनो स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2648
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

कुटुंब न्यायालय

+2648. श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में कुटुंब न्यायालय आरंभ किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 कुटुम्ब न्यायालयों के गठन का उपबंध करता है। ये न्यायालय संबंद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार स्थापित किए जाते हैं । कुटुम्ब न्यायालय देश के सभी जिलों में आरंभ नहीं किए गए हैं । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में 751 कुटुम्ब न्यायालय कार्यरत हैं । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे उपाबंध पर दिए गए हैं ।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2648 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

कार्यरत कुटुम्ब न्यायालयों की (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कार्यरत कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या (मई-2021)
1	आंध्र प्रदेश*	16
2	असम	7
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	मिजोरम	0
5	नागालैंड*	2
6	बिहार	39
7	छत्तीसगढ	26
8	दिल्ली	21
9	गोवा	0
10	महाराष्ट्र	40
11	गुजरात	34
12	हरियाणा	31
13	पंजाब	32
14	चंदीगढ	0
15	हिमाचल प्रदेश	3
16	जम्मू-कश्मीर	0
17	झारखंड	25
18	कर्नाटक	38
19	केरल	28
20	लक्ष्यदीव	0
21	मध्य प्रदेश	47
22	मणिपुर	4
23	मेघालय	0
24	ओड़िसा	32
25	राजस्थान	47
26	सिक्किम	6
27	तमिलनाडू	39
28	पुडुचेरी	2
29	त्रिपुरा	7
30	उत्तर प्रदेश	189
31	उत्तराखंड	18
32	पश्चिमी बंगाल	2
33	अंदमान निकोबार दीव	उपलबंध नहीं
34	तेलंगाना	16
35	दमण और दीव	0
36	दादरा और नागर हवेली	0
37	लद्दाख	उपलबंध नहीं
	कुल	751

***** तारीख **30.09.2020** तक आंध्र प्रदेश और नागालैंड के उपलब्ध आंकड़े ।
एन ए **–** उपलब्ध नहीं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2653
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

न्यायालय में लंबित मामले

+2653. श्री मलूक नागर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) पूरे विश्व की तुलना में देश में न्यायालय में अत्यधिक संख्या में लंबित मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है ;

(ख) क्या सरकार का देश में मामलों के लंबन के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों जैसे न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या में कमी, रिक्त पदों को भरने इत्यादि का समाधान करने के लिए कोई नीति तैयार करने का विचार है ;

(ग) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार का कड़े कानून बनाने या पूर्व कानूनों में कुछ व्यापक बदलाव लाने के संबंध में कोई नीति तैयार करने का विचार है ताकि देश में जघन्य अपराधों में हो रही वृद्धि को कड़ाई से रोका जा सके और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखा जा सके ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद तथा भौतिक अवसंरचना, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित आवेदन सम्मिलित है ।

इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या का वैज्ञानिक निर्धारण करने के लिए एक पद्धति विकसित करने के लिए कहा था । विधि आयोग ने अपनी 245वीं रिपोर्ट (2014) में यह अभिमत व्यक्त किया कि प्रतिव्यक्ति मामलों का फ़ाईल किया जाना संपूर्ण भौगोलिक इकाई के अनुसार सारवान रूप से परिवर्तित होता है क्योंकि मामलों का फ़ाईल किया जाना जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से सहबद्ध है । इस प्रकार विधि आयोग ने देश में न्यायाधीशों की संख्या की पर्याप्तता को अवधारित करने के लिए

न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैज्ञानिक मानदंड नहीं समझा था । विधि आयोग ने "निपटान की दर" पद्धति अर्थात मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने, साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया बैकलॉग सृजित न हो, को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी पाया ।

अगस्त, 2014 में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की परीक्षा करने और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा था । एनसीएमएस समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2016 में उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की थी । रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, यह अभिमत व्यक्त करती है कि लंबे समय में, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश संख्या, प्रत्येक न्यायालय में मामला भार के निपटान के लिए अपेक्षित कुल "न्यायिक घंटो" का अवधारण करने के लिए किसी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निर्धारित की जाए । अंतरिम में, समिति ने "भार" निपटान पहुंच अर्थात् स्थानीय स्थितियों की प्रकृति और जटिलता द्वारा निपटान भार प्रस्तावित किया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, तारीख 02.01.2017 के अपने आदेश में न्याय विभाग ने सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को एनसीएमएस समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी है जिससे वे जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की अपेक्षित पदसंख्या का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम हो सकें ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की काडर की पदसंख्या वर्ष 2019 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर 30 से 33 तक और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2014 से 2021 तक 906 से 1080 तक बढ़ाई गई थी । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की काडर संख्या बढकर 2014 में 19518 से 2021 में 24365 हो गई है । जिला और जिला/अधीनस्थ (तहसील/तालुका) से नीचे स्तर पर नए न्यायालय उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। केंद्रीय सरकार की मामले में कोई भूमिका नहीं है। मलिक मज़हर मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक आदेश की माध्यम से समयबद्ध रीति में अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया और समय-सीमा को अभिकल्पित किया है ।

संघ सरकार, संविधान के अनुच्छेद 39क के अधीन आदेशात्मक के अनुरुप न्याय के लिए पहुंच में सुधार करने हेतु मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है । संघ सरकार द्वारा स्थापित न्याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, ने कई सामरिक पहलें अंगीकृत की है, जिसके अन्तर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना (न्यायालय हॉल और वास इकाईयां) में सुधार करना, बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का प्रभावन, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायधीशों के रिक्त पदों को भरना, जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्तर पर बकाया समितियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों मे कमी करना, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना और विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल, भी है ।

(ग) : न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से निपटने के मुद्दे को न्यायपालिका द्वारा अपने आप ही संबोधित किया जाना है क्योंकि भारतीय संविधान के अधीन यह एक स्वतंत्र अंग है । उच्चतम न्यायपालिका

में जवाबदेही 7 मई, 1997 को आयोजित उच्चतम न्यायालय की अपनी पूर्ण न्यायालय की बैठक में अंगीकृत "इन हाऊस प्रक्रिया" के माध्यम से रखी जाती है । "इन हाऊस प्रक्रिया" के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए भारत के न्यायमूर्ति सक्षम हैं । इसी प्रकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति सक्षम हैं । इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार, जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है ।

भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में प्राप्त शिकायतें और अभ्यावेदन समुचित कार्रवाई हेतु, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, द्वारा निपटाए जाते हैं । इसी प्रकार, अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें/अभ्यावेदन समुचित कार्रवाई हेतु संबद्ध उच्च न्यायालय के महा रजिस्ट्रार को अग्रेषित किए जाते हैं ।

(घ) : विद्यमान दांड़िक विधि में अपराधों के विभिन्न प्रकारों की जांच करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपबंध हैं । तथापि, दांड़िक विधि में संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2696
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

ई-कोर्ट परियोजना

2696. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की दृष्टि से देश में ई-कोर्ट परियोजना को लागू करने का है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) सभी न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कब तक जोड़ा जाएगा ;

(घ) भारत के उच्चतम न्यायालय और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय में कुल कितने मामले लंबित हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी हां । सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सहयोग से संपूर्ण देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)परिचालन के लिए ई-न्यायालय मिशन पद्ति परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है । ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना चरण–2, वर्ष 2015 में अपने क्रियान्वयन के साथ आरंभ की गई । अब तक, 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है । 2992 न्यायालय परिसरों में से, 2945 न्यायलय परिसरों के लिए व्यापक क्षेत्र नेटवर्क की संयोजकता प्रदान की गई है । ई-न्यायालय चरण-2 के लिए 1670 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत के विरुद्ध, सरकार ने अब तक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 1582.11 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है ।

ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना और संचार प्रोद्योगिकी परिचालन के लिए, वादकारियों, वकीलों और न्यायपालिका को कई सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो न्यायिक सेवाओं के शीघ्र परिदान को सुकर बनाती हैं । ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति,

दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे, ई-न्यायालय वेब पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्र, ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सेवाएं और सूचना कियोस्क आधारित टच स्क्रीन के माध्यम से वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी), को परियोजना के अधीन एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्म के रुप में सृजित किया गया है, जो देश के कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वर्तमान में, न्यायिक अधिकारियों सहित सभी पणधारी, एनजेडीजी पर इन कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 18.77 करोड़ से अधिक लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 14.61 करोड़ से अधिक आदेश/निर्णय के संबंध में मामला प्रास्थिति सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कान्फ्रैसिंग सुविधा को 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी कारावासों के मध्य सुकर बनाया गया है ।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में ताल्लुक स्तर न्यायालय परिसरोंं सहित सभी न्यायालय परिसरोंं के लिए एक वीडियो कान्फ्रैसिंग उपस्कर प्रदान किया गया है। वीडियो कान्फ्रैसिंग (वीसी) अवसंरचना को और आगे बढाने के लिए, उच्चतम न्यायालय की ई समिति उन न्यायालयोंं परिसरों में 14,443 न्यायालय कक्ष प्रदान किए जाने वाले वीसी उपस्कर का अनुमोदन किया है, जिसके लिए 28.88 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है । महामारी अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों ने 40,43,300 मामलों की सुनवाई की, जबकि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने तारीख 30/06/2021 तक वीडियो कान्फ्रैसिंग से 74,15,981 मामलों की सुनवाई की है ।

(घ) : तारीख 02.07.2021 तक के आंकड़े के अनुसार, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में 69,212 मामलेे लंबित हैं । तारीख 28.07.2021 को एनजेडीजी पर उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित कुल मामले 5,82,903 हैं ।

(ड.) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है । यद्यपि, न्यायालयों में मामले के निपटान में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, केंद्रीय सरकार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायालय मामलों के भार को और कम करने के लिए, राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण अंगीकार किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है, जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, न्यायालय प्रक्रिया की पुनर्रचना और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का प्रयोग तथा मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2707
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

मनमाने आधार पर केसों का आवंटन

2707. श्री महाबली सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन पर ध्यान दिया है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पर मनमाने आधार पर अपनी पसंद के न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने आदि का आरोप लगाया गया था ;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस घटना से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र, जिसे प्रेस में जारी किया गया था, में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : सरकार को इस सबंध में न्यायपालिका से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं । न्यायपालिका भारतीय संविधान के अधीन एक स्वतंत्र अंग होने के कारण अपने आंत्रिक मामलों को संभालने में सक्षम है । सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और यह इसकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती है और न ही करना चाहिए ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2738
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

2738. श्री अनुभव मोहंती :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निचले और अधीनस्थ न्यायालयों में लाखों मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो लंबित मामलों की संख्या और उनकी अवधि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने निचले/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को प्रभावी रूप से कम करने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध 30.07.2021 को यथा विद्यमान जानकारी के अनुसार निम्नलिखित अवधि के दौरान निचले और अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 3,93,21,607 मामले लंबित हैं:-

अवधि	**सिविल मामले**	**दांडिक मामले**	**योग**
0 से 1 वर्ष	3094805 (29.45%)	8613473(29.9%)	11708278(29.78%)
1 से 3 वर्ष	3371449(32.08%)	8560192(29.71%)	11931641(30.34%)
3 से 5 वर्ष	1687366(16.05%)	4601417(15.97%)	6288783(15.99%)
5 से 10 वर्ष	1644638(15.65%)	4440725(15.41%)	6085363(15.48%)
10 से 20 वर्ष	557716(5.31%)	2160080(7.5%)	2717796(6.91%)
20 से 30 वर्ष	116615(1.24%)	371130(1.24%)	487745(1.24%)
30 वर्ष से अधिक	37423(0.36%)	64578(0.22%)	102001(0.26%)
योग	10510012	28811595	39321607

(ग) और (घ) : न्यायालयों में मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे हेतु कोई समयसीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे और लंबित मामलो में कमी के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे हेतु पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं । न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,644.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 20,218 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 17,815 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,693 न्यायालय हाल और 1,852 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमे से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के सनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वियन कर रही है । 01.07.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.07.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 18.77 करोड़ मामलों तथा 14.61 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-

न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में बारह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 12.07.2021 तक इन न्यायालयों ने 75 लाख मामले निपटाए तथा 160.05 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 30.06.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 74,15,989 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 40,43,300 सुनवाइयां (कुल 1.14 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 09.07.2021 तक 96,239 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 01.03.2021 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 602 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 551 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
29.07.2021	24,368	19,259

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 30.04.2021 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 870 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में शामिल हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जून, 2021 तक 39.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 640 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 338 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.05.2021 तक 50,484 मामले निपटाए हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन)

अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2754
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

न्याय परिदान प्रणाली

2754. श्री सुरेश पुजारी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलो के शीघ्र निपटान के लिए भारत में न्याय परिदान प्रणाली को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है ताकि गरीब वादियों के घर तक बिना किसी विलंब के न्याय परिदान को सुनिश्चित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार न्यायमूर्ति जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसरण में पश्चिमी ओडिशा में ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना करने पर विचार करेगी ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले को राज्य सरकार और ओडिशा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ उठाएगी और हितधारकों के परामर्श से पश्चिमी ओडिशा में स्थायी पीठ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सहमति बनाएगी और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्यायालयों में मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे हेतु कोई समयसीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे और लंबित मामलो में कमी के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे हेतु पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं । न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,644.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 20,218 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 17,815 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,693 न्यायालय हाल और 1,852 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमेंं से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के सं◌निर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.07.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 18.77 करोड़ मामलों तथा 14.61 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में बारह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 12.07.2021 तक इन न्यायालयों ने 75 लाख मामले निपटाए तथा 160.05 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थीं ।

कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 30.06.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 74,15,989 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 40,43,300 सुनवाइयां (कुल 1.14 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 09.07.2021 तक 96,239 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 01.03.2021 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 602 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 551 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
29.07.2021	24,368	19,259

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम,

2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अधीन लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली हैं । लोक अदालतों की क्षमता को त्वरित, कम खर्चीली और न्याय प्रशासन की तेज प्रणाली के रुप में इसकी क्षमता को पहचानते हुए, जिसके द्वारा देश में न्याय परिदान प्रणाली को मजबूत किया गया है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन कानूनी प्रास्थिति प्रदान की गई है । उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, लोक अदालत की किसी भी मामले को स्वीकार करने की अधिकारिता है जो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है या पक्षकारों के बीच विवाद का कोई विषय जिसे अब तक न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है । लोक अदालत सिविल मामलों और सभी दाण्डिक शमनीय मामलों को निपटाती है, चाहे वे न्यायालय में लंबित हों या पूर्व मुकदमा चरण मेंं हों ।

लोक अदालतों का आयोजन राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर किया जाता है । लोक अदालतों का आयोजन प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ में नालसा द्वारा निश्चित तारीखों को देश के सभी न्यायालयों और अधिकरणों में एक ही दिन को किया जाता है । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन करते हैं ।

कोविड महामारी द्वारा की गई उथल-पुथल की अवधि में, विधिक सेवा प्राधिकरणों ने नई परिस्थितियों के अनुसार ढलकर और लोक अदालतों को वर्चुअल प्लेटफार्म पर लाकर सृजनात्मक रूप से उचित ढंग से कार्य किया । ई-लोक अदालत प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) प्रणालियों का संयोजन करके विवादों के निपटारे की प्रक्रिया है जो तेज, पारदर्शी और सुगम्य विकल्प प्रदान करती है ।

यद्यपि, ये लोक अदालतें लम्बित और पूर्व मुकदमेबाजी विषयों दोनों को हल करती हैं, उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों में भी वास्तविक रूप से लम्बित मामलों को लेकर न्यायालयों में लम्बन को कम करने पर जोर है । लोक अदालतें जिला और तालुक स्तरों पर आयोजित की जाती हैं, जिनके अन्तर्गत दूरस्थ और दूर तक फैले क्षेत्रों के तालुका भी हैं । लोक अदालत के संवर्धन हेतु, पक्षकारों द्वारा भुगतान की गई न्यायालय फीस को वापस करने/उसकी प्रतिपूर्ति करने का उपबंध किया गया है । पक्षकार बिना किसी प्रतिनिधि के उपस्थित होकर अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(vii) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 30.04.2021 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 870 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में शामिल हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जून, 2021 तक 39.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 640 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 338 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.05.2021 तक 50,484 मामले निपटाए हैं ।

(viii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ख) और (ग) : उच्च न्यायालय की खंडपीठें, इसकी मुख्य पीठ से भिन्न किसी स्थान पर, जसंवत सिंह आयोग की सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 2000 की 379 में दिए गए निर्णय के अनुसार तथा राज्य सरकार से अवसंरचना प्रदान करने तथा व्ययों की पूर्ति हेतु तैयार होने को सम्मिलित करते हुए, जिसके साथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति हो, पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात् गठित की जाती हैं ।

ओडिशा की राज्य सरकार ने ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है । केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित खंडपीठ के ब्यौरों पर कार्य करने के लिए, जिसके अन्तर्गत उड़ीसा उच्च न्यायालय के परामर्श से इसकी अवस्थिति भी है, ओडिशा की राज्य सरकार से अनुरोध किया है । वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ (खंडपीठें) स्थापित करने के संबंध में कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के समक्ष लम्बित नहीं है ।

****